96

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक / 18 / पीबीआर / निगरानी

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा/2018/1993 हरीशंकर गोयल जनहित न्यास, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर जर्ये ट्रस्टीगण अशोक कुमार गोयल, यश गोयल पुत्रगण स्व0 श्री हरीशंकर गोयल, निवासी–दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर

––निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर

––प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर ग्वालियर द्वारा पारित प्रकरण कमांक 34 / 17–18 / अपील पारित आदेश दिनांक 6–3–2018

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि निगरानीकर्ता एक जनहित न्यास है जिसके ...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/18/ 1993

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अजय शर्मा द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने आवेदक द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परिवर्तित भूमि ग्वालियर (ओ0एस0डी0) का प्रकरण मंगाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे अपर कलेक्टर द्वारा अस्वीकार किया गया है, क्योंकि आवेदक का कर्तव्य था कि अभिलेख से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायें, जो कि आवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये है इसलिये आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	